न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 304 सन 2019
अनवान :–

1. राधेश्याम पुत्र बनवारीलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बनवारीलाल पि0मु0 छतुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 16/8/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 888 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 216/81 के खसरा न0 15/1.6690हैक , खसरा न0 16/1.4920हैक , खसरा न0 18/6.3230हैक खसरा न0 19/6.9810हैक कुल किता 4 की कुल 16.4650हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से राधेश्याम पुत्र किशनाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी देवसार 1/6 हिस्सा बनवारीलाल पि0मु0 छतुराम 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 216/81 की कुल 16.4650हैक भूमि में रूकमा वल्द मोतीराम के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज थी एवं रूकमा लावल्द फोत हो चुकी थी रूकमा के बाद फोतदगी उनके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 हुये तथा रूकमा के नाम से सयुक्त तौर से दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई तथा प्रतिवादी संख्या 1 छतुराम के खोले चला गया।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि का लिखित रूप में बंटवारा कर लिया एवं मुताबिक बटवारानामा के अनुसार वादग्रस्त भूमि काश्त करते आ रहे है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज भूमि अपने भाई वादी/राधेश्याम के पक्ष में लिखित में तर्क कर दिया तथा सम्वत 2029 से जब सयुक्त परिवार से अलग हुआ तो अपने नाम दर्ज भूमि वादी को दे दी तथा कब्जा मौके पर सभला दिया किन्तु वाद भूमि आज भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा व परिवारिक बटंवारा में प्राप्त भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के हक हिस्सा एवं परिवारिक बटवारा में प्राप्त भूमि को वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मोजा देवासर के खाता संख्या 216/81 की कुल 16.4650हैक भूमि में से सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/12 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का भाई है ने निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हक हिस्सा का परित्याग परिवारिक बटंवारा के तहत किया हुआ है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

पेरोकार राज ने अपने जवाब में अंकित किया की वादी परिवारिक बंटवारा को स्वय साबित करे एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाता है तो राज्यपक्ष को ऐतराज नही है जबाब शामिल मिलस किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपने बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 216/81 के खसरा न0 15/1.6690हैक , खसरा न0 16/1.4920हैक , खसरा न0 18/6.3230हैक खसरा न0 19/6.9810हैक कुल किता 4 की कुल 16.4650हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से राधेश्याम पुत्र किशनाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी देवसार 1/6 हिस्सा बनवारीलाल पि0मु0 छतुराम 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार है।

Scanned with CamScanner

रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 216/81 की कुल 16.4650हैक भूमि में रूकमा वल्द मोतीराम के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज थी एवं रूकमा लावल्द फोत हो चुकी थी रूकमा के बाद फोतदगी उनके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 हुये तथा रूकमा के नाम से सयुक्त तौर से दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई तथा प्रतिवादी संख्या 1 छतुराम के खोले चला गया।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि का लिखित रूप में बंटवारा कर लिया एवं मुताबिक बटवारानामा के अनुसार वादग्रस्त भूमि काश्त करते आ रहे है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज भूमि अपने भाई वादी/राधेश्याम के पक्ष में लिखित में तर्क कर दिया तथा सम्वत 2029 से जब सयुक्त परिवार से अलग हुआ तो अपने नाम दर्ज भूमि वादी को दे दी तथा कब्जा मौके पर सम्भला दिया किन्तु वाद भूमि आज भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा व परिवारिक बटंवारा मे प्राप्त भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर स्वीकार कर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है वादी के वाद के सम्बध मे अब किसी प्रकार का ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे। वादी अपने कथनों के समर्थन मे अपना शपथ पत्र /बंटवारा एवं पूर्व में हुए बटवारा पेश किया जो शामिल मिसल है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक होना साबित होने पर साक्ष्य सबुतों के आधार पर डिक्री किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 216/81 के खसरा न0 15/1.6690हैक , खसरा न0 16/1.4920हैक , खसरा न0 18/6.3230हैक खसरा न0 19/6.9810हैक कुल किता 4 की कुल 16 4650हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से राधेश्याम पुत्र किशनाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी देवसार 1/6 हिस्सा बनवारीलाल पि0मु0 छतुराम 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार है।

उक्त भूमि पूर्व में रूकमा वल्द मोतीराम के नाम से दर्ज थी रूकमा लावल्द फोत होने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 जायज वारिसान होने के कारण वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 छतुराम के खोले चला गया प्रतिवादी सख्या 1 खोले जाने के कारण रूकमा की सम्पति में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है अब प्रतिवादी संख्या 1 छतुराम की सम्पति में ही हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम से दर्ज भूमि का तर्क /परिवारिक बंटवारा में वादी को दी जा चुकी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की परिवारिक बंटवारा में वाद भूमि वादी को दी जा चुकी है वाद भूमि पर वादी का ही हक हिस्सा है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में परिवारिक बंटवारा/राजीनामा पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जा चुका है वादी के वाद के सम्बध में पेरोकार राज के द्वारा भी किसी प्रकार कीआपत्ति नही की गई है ना ही वादी के वाद से राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनाक संशोधन होता है।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 216/81 कुल किता 4 की कुल 16.4650हैक भूमि जिसमे सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/12 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/08/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. राधेश्याम पुत्र बनवारीलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1 बनवारीलाल पि0मु0 छतुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 304 सन 2019 निर्णय दिनांक– 16/08/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति मे अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही गौजा देवासर के खाता संख्या 216/81 कुल किता 4 की कुल 16.4650हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/12 हिस्सा भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड मे अकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/8/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner